न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी – जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या – 155 / 2018
वादपत्र अन्तर्गत धारा संख्या – 88 आरटीए

1. सतविन्द्र कौर पत्नि दर्शन सिंह
2. राजेन्द्र सिंह मान | पि. दर्शन सिंह
3. [illegible]विन्द्र सिंह
4. [illegible]दीप सिंह पुत्र सरजीत सिंह

जाति जटसिख साकिन लम्बीढाब तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ

वादीगण

बनाम

1. [illegible] कौर पुत्री सरजीत सिंह पत्नि मक्खन सिंह जाति जटसिख सा.लम्बीढाब हाल आबाद [illegible]वाला तह.जिला फाजिल्का
2. [illegible]न्द्र कौर पुत्री सरजीत सिंह पत्नि नक्षत्र सिंह जाति जटसिख सा.लम्बीढाब हाल आबाद चक [illegible]सिंह वाला तह. व जिला हनुमानगढ।
3. [illegible] सिंह
4. [illegible] सिंह | पि.कलवन्त सिंह | जाति जटसिख सा.लम्बीढाब तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
5. [illegible] सिंह
6. [illegible]जीत कौर पत्नि प्रगट सिंह
7. [illegible]पाल सिंह पुत्र प्रगट सिंह ना.ज.कुबली माता कर्मजीत कौर पत्नि प्रगट सिंह जाति जटसिख सा.लम्बीढाब तह.संगरिया जिला हनुमानगढ।
8. तहसीलदार राजस्व संगरिया।
9. मैनेजर पंजाब नैशनल बैंक संगरिया।

प्रतिवादीगण

उपस्थित — श्री राजेश बुढानिया अधिवक्ता वादीगण
श्री [illegible] बिश्नोई अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 2
श्री शिव शंकर अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 3 ता 7

निर्णय   दिनांक – 13.11.2024

अधिवक्ता वादीगण द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के [illegible] प्रस्तुत किया जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 एक ही [illegible] परिवार के सदस्य है जो कि मृतक सरजीत सिंह पुत्र ईशर सिंह के वंशज है। चक 1 [illegible] के खाता संख्या 7 खाता आत्मासिंह वगैरा ज.स. 2032 ता 2035 मे साझा खाता मे [illegible] सरजीत सिंह, कलवन्त सिंह, बाबु सिंह पि.ईशर सिंह व सरजीत कौर जौजा सरजीत के [illegible] 8.476 है कृषि भूमि साझा खाता मे दर्ज राजस्व रिकार्ड है। [illegible] उक्त खाता की [illegible] संलग्न है। साझा खाता की उक्त आराजी [illegible] 253 है दर्ज राजस्व रिकार्ड है। लेकिन उसके बाद [illegible] आराजी का [illegible]तकसीम करवाते समय घरू बटवारा मुताबिक चक 1 एन.के.आर. के प.न. [illegible] / 141 मु.न. 18 के [illegible] 25 की 14 बिस्वा आराजी वादीगण के पूर्वज सरजीत सिंह पुत्र ईश्र सिंह के हक व हिस्सा [illegible] आई तथा शेष किला न. 25 की 6 बिस्वा आराजी प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 के पूर्वज कलवन्त सिंह [illegible] ईशर सिंह के हक व हिस्सा मे आई तथा उक्त आराजी का खाता तकसीम उक्तानुसार [illegible]

उपखण्ड कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Kaushik
Date: 2024.11.26 15:51:09 IST
Reason: SelfAttested

...न्तकाल संख्या 34 चक 1 एनकेआर दर्ज होकर तस्दीक हुआ। उक्त इन्तकाल संख्या 34 की ...माणित प्रति संलग्न है। जिसमें चक 1 एनकेआर के प.न. 160/141 मु.न. 18 के किला न. 25 की ... बिस्वा आराजी सरजीत सिह पुत्र ईश्र सिह के नाम तथा मु.न. 18 के किला न. 25 की शेष 6 ...स्वा आराजी कलवन्त सिह पुत्र ईशर सिह के नाम दर्ज हुई। लेकिन उक्त इन्तकाल संख्या 34 के ...द राजस्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा नई चार साला जमाबन्दी तैयार करते समय चक 1 एनकेआर ...न 160/141 मु.न. 18 किला नं. 25 की समस्त 0.253 है. आराजी कलवन्त सिह पुत्र ईशर सिह के ...न दर्ज कर दी। उक्त चक 1 एनकेआर खाता संख्या 10/7 खाता कलवन्त सिह ज.स. 2036–39 ... प्रमाणित प्रति संलग्न है। कलवन्त सिह पुत्र ईशर सिह के फौत होने के बाद उक्त आराजी ... ज.स. 2069–2072 के खाता संख्या 79/73 खाता लाभ सिह वगैरा मे उनके वारिसान ...वादी संख्या 3 ता 7 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिसकी जमाबन्दी सलग्न है। चूकि चक 1 ...नकेआर के प.न. 160/141 मु.न. 18 के किला न. 25 की 14 बिस्वा यानि 0.177 है. आराजी पूर्व मे ...दीगण के पूर्वज तथा उनके फौत होने के बाद वादीगण के कब्जा काश्त मे है उक्त आराजी पर ...लवन्त सिह पुत्र ईशर सिह का तथा उनकी मृत्यु के बाद उनके वारिसान प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 ... कोई हक व हिस्सा व कब्जा नही रहा है। उपरोक्त चक 1 एनकेआर के प.न. 160/141 मु.न. 18 ... किला न. 25 की 14 बिस्वा यानि 0.177 है. आराजी का सरजीत सिह पुत्र ईशर सिह ही हकदार ... सरजीत सिह पुत्र ईशर सिह फौत हो गये है। जिनके वारिसान उनके पुत्रगण दर्शन सिह,जगदीप ...ह तथा उनकी पुत्रीयां प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ही है। जो कि सरजीत सिह के ह व हिस्सा की ...राजी बहिब के हकदार है। किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अपने समस्त हक व हिस्से का ...त्याग दर्शन सिह व जगदीप सिह के पक्ष में कर दिया है। उक्त आराजी मे प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ... कोई हक व हिस्सा नही है। दर्शन सिह पुत्र सरजीत सिह के फौत होने के बाद उनके समस्त हक ...हिस्सा की आराजी के उनके वारिसान वादी संख्या 1 ता 3 बहिब के हकदार है। अत: सरजीत सिह ... ईशर सिह के समस्त हक व हिस्सा की आराजी में 1/2 हिस्सा का हक वादी संख्या 1 ता 3 का ... 1/2 हिस्सा हक वादी संख्या 4 का बनता है। तथा उक्त हिस्सा अनुसार आराजी के वादीगण ...दार काश्तकार है। इसी कदर की घोषणात्मक डिक्री वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी एवं ...दार है। वादीगण ने प्रतिवादीगण से कई दफा निवेदन किया कि आप दावा की दफा 3 में दर्ज ...जी का दावा की दफा 4 के अनुसार हमें खातेदार काश्तकार होना मान लो तो इस पर पहले तो ...लमटोल करते रहे किन्तु अन्त में पिछले सप्ताह प्रतिवादीगण वादीगण के इस निवेदन से स्पष्ट ... हो गए बस यही वादकारण है।

लिहाजा वाद वादीगण पेश कर निवेदन है कि चक 1 ... खाता ... सिह वगैरा ज.स. 2079–72 में प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 ... कुल 3.670 ...राजी मे से प.न. 160/141 मु.न. 18 किला नं. 25 में 0.177 है. आराजी के ...गण हकदार है ... 1/2 हिस्सा के वादी संख्या 1 ता 3 बहिब तथा शेष 1/2 हिस्सा का वादी संख्या 4 खातेदार ...कार है। उक्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का कोई हक व हिस्सा नही है। अत: इसी ...के राजस्व रिकार्ड मे प.न. 160/141 मु.न. 18 के किला नं. 25 की 0.177 है. आराजी यानि 14

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Kaushik
Date: 2024.11.26 15:51:09 IST
Reason: SelfAttested

...कलेक्टर एवं
...अधिकारी
संगरिया

बिस्वा आराजी वादीगण के नाम दर्ज की जाकर उक्त खाता में प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 लाभ सिह वगैरा का हिस्सा कम किया जावे।

उक्त दावा पेश होने पर तथा सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया, तथा प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने जरिये अधिवक्ता जवाबदावा पेश कर वाद को स्वीकार किया। प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 7 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जबाब दावा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 8 की ओर से जवाब पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया। प्रतिवादी संख्या 9 की ओर से जवाब पेश किया गया। जो शामिल पत्रावली किया। वकील वादीगण द्वारा फार्म नम्बर 3 के साथ जल संसाधन विभाग राजस्थान शुद्वकार खसरा साख खरीफ 2015, साख रबी 2015–2016, साख खरीफ 2016, साख रबी 2016–2017, साख रबी 2014–2015, साख खरीफ 2022, साख रबी 2021–22, साख खरीफ 2021, साख रबी 2020–2021, साख खरीफ 2020, साख रबी 2019–20, साख खरीफ 2019, साख रबी 2018–19, साख रबी 2017–18, साख खरीफ 2018 एवं दिनांक 16.10.2019 पटवार हल्का सन्तपुरा की रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतियाँ पेश की गई जो शामिल पत्रावली है। तथा निम्नानुसार 1 ता 2 तनकीयात कायम की गईः–

1. आया कि चक नं. 1 एनकेआर खाता संख्या 79/73 खाता लाभ सिह वगैरा ज.स. 2079–2072 में प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 लाभ सिह वगैरा के नाम दर्ज कुल 3.670 है. आराजी मे से प.न. 160/141 मु.न. 18 किल नं. 25 में 0.177 है. आराजी के वादीगण हकदार है जिसमें 1/2 हिस्सा वादी संख्या 1 ता 3 बहिब व शेष 1/2 हिस्सा का वादी संख्या 4 खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी में प.न. 160/141 मु.न. 15 किला नं. 25/0.177 है. आराजी वादीगण के नाम दर्ज कर प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 उका इतना हिस्सा कम करवाने के अधिकारी है।

वादीगण

2. आया कि चक नं. 1 के खाता संख्या 79/73 में प.न. 160/141 मु.न. 18 में किला नं. 25/0.177 है. आराजी वादीगण को चक नं. 2 एनकेआर प.न. 155/146 मु.न. 39 के किला नं. 5,6,15,16,25/0.021 की एवज दी गई थी। उक्त रास्ता की भूमि प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 ने अपनी किला नं. 25/0.177 भूमि वापिस ले ली अब उक्त भूमि पर वादीगण का कोई हक व हिस्सा नही है। इसलिए वादीगण उक्त भूमि में अपना खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी नही है।

प्रतिवादी संख्या 3 ता 7

साक्ष्य वादी के तहत **पीडब्ल्यू–4 जगदीप सिह** पुत्र सरजीत सिह **पीडब्ल्यू–2 राजेन्द्र सिह मान पुत्र दर्शन सिह** के शपथ अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किये गये। वकील वादी द्वारा जमाबन्दी चक 1 एनकेआर खाता संख्या 79/73 **प्रदर्श –1** जमाबन्दी चक 1 एनकेआर खाता संख्या 7 **प्रदर्श 2,** जमाबन्दी चक नं. 1 एनकेआर खाता संख्या 10/7 **प्रदर्श–3** व चक 1 एनकेआर नामान्तकरण संख्या 34 **प्रदर्श – 4** करवाये गये। अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा उक्त गवाहो से जिरह की गई, जिसे लेखबद्व कर शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य प्रतिवादी के तहत डीडब्ल्यू– जवाहर सिंह पुत्र श्री कुलवन्त सिंह का शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किया गया। अधिवक्ता वादी द्वारा **डीडब्ल्यू–4** से जिरह की गई जिसे लेखबद्व किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Kau
Date: 2024.11.26 15:51:09
Reason: SelfAttested

उभय पक्ष द्वारा बहस समाहित की गई। अधिवक्ता वादीगण ने वाद पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किये कि वादगत आराजी का खाता तकसीम करवाते समय घरू बंटवारा मुताबिक चक 1 एनकेआर के प.न. 160/141 मु.न. 18 के किला नं. 25 की 14 बिस्वा आराजी वादीगण के पूर्वज

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

रजीत सिह पुत्र ईश्र सिह के हक व हिस्सा में आई एवं शेष किला नं. 25 की 6 बिस्वा आराजी तिवादी संख्या 3 ता 6 के पूर्वज कलवन्त सिह पुत्र ईशर सिह के हक व हिस्सा में आई तथा उक्त आराजी का खाता तकसीम उक्तानुसार जरिये इन्तकाल संख्या 34 चक 1 एनकेआर दर्ज होकर तस्दीक हुआ। लेकिन उक्त इन्तकाल संख्या 34 के बाद राजस्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा नई चार साला जमाबन्दी तैयार करते समय चक 1 एनकेआर प.न. 160/141 मु.न. 18 किला नं. 25 की समस्त 0.253 है. आराजी कलवन्त सिह पुत्र ईशर सिह के नाम दर्ज कर दी जो प्रदर्श 1 ता 4 से साबित एवं प्रस्तुत प्रमाणित प्रति सिचाई विभाग शुद्धकार खसरा व पटवारी हल्का रिपोर्ट से वादगत आराजी पर वादीगण का कब्जाकाश्त साबित है। प्रर्दशो, गवाहो के बयानात से वाद वादीगण साबित है इसलिए चक 1 एनकेआर प.न. 160/141 मु.न. 18 के किला नं. 25 की 0.177 है. आराजी यानि 14 बिस्वा आराजी वादीगण के नाम दर्ज की जाकर उक्त खाता में प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 लाभ सिह वगैरा का हिस्सा कम किया जावे। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 व 2 दौराने बहस अपनी सहमति दी गई।

अधिवक्ता प्रतिवादी 3 ता 7 ने जवाब बहस मै कथन किये कि चक नं. 1 के खाता संख्या 79/73 में प.न. 160/141 मु.न. 18 में किला नं. 25/0.177 है. आराजी वादीगण को चक नं. 2 एनकेआर प.न. 155/146 मु.न. 39 के किला नं. 5,6,15,16,25/0.021 की एवज दी गई थी। उक्त रास्ता की भूमि प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 ने अपनी किला नं. 25/0.177 भूमि वापिस ले ली अब उक्त भूमि पर वादीगण का कोई हक व हिस्सा नही है। इसलिए वादीगण उक्त भूमि में अपना खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी नही है। अतः वाद वादीगण खारीज किया जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। तनकी वार निर्णय निम्नानुसार है:–

तनकी संख्या 1

आया कि चक नं. 1 एनकेआर खाता संख्या 79/73 खाता लाभ सिह वगैरा ज.स. 2079–2072 में प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 लाभ सिह वगैरा के नाम दर्ज कुल 3.670 है. आराजी मे से पं.न. 160/141 मु.न. 18 किल नं. 25 में 0.177 है. आराजी के वादीगण हकदार है जिसमें 1/2 हिस्सा वादी संख्या 1 ता 3 बहिब व शेष 1/2 हिस्सा का वादी संख्या 4 खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी में प.न. 160/141 मु.न. 15 किला नं. 25/0.177 है. आराजी वादीगण के नाम दर्ज कर प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 उका इतना हिस्सा कम करवाने के अधिकारी है उक्त तनकी को सिद्व करने का भार वादीगण पर है :– वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श 1 ता 4 के अवलोकन से वादगत आराजी का चक 1 एनकेआर के प.न. 160/141 मु.न. 18 के किला नं. 25 की 14 बिस्वा आराजी वादीगण के पूर्वज सरजीत सिह पुत्र ईश्र सिह के हक व हिस्सा में आई एवं शेष किला नं. 25 की 6 बिस्वा आराजी प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 के पूर्वज कलवन्त सिह पुत्र ईशर सिह के हक व हिस्सा में आई होना इन्तकाल संख्या 34 से साबित है। इन्तकाल की प्रति संलग्न वाद पत्र है। लेकिन उक्त इन्तकाल संख्या 34 के बाद राजस्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा नई चार साला जमाबन्दी तैयार करते समय चक 1 एनकेआर प.न. 160/141 मु.न. 18 किला नम्बर 25/0.253 है. समस्त आराजी कलवन्त सिह पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Kaushik
Date: 2024.11.26 15:51:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

ईश्वर सिंह के नाम सहवन से दर्ज कर दी है। उपरोक्त तथ्य से वादीगण के कथनों की पुष्टि हो रही है इसलिए वादीगण उक्त तनकी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2

आया कि चक नं. 1 के खाता संख्या 79/73 में प.न. 160/141 मु.न. 18 में किला नं. 25/0.177 है. आराजी वादीगण को चक नं. 2 एनकेआर प.न. 155/146 मु.न. 39 के किला नं. 5,6,15,16,25/0.021 की एवज दी गई थी। उक्त रास्ता की भूमि प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 ने अपनी किला नं. 25/0.177 भूमि वापिस ले ली अब उक्त भूमि पर वादीगण का कोई हक व हिस्सा नही है। इसलिए वादीगण उक्त भूमि में अपना खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी नही है उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी सख्या 3 ता 7 पर है :— प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 द्वारा जवाब दावा में वादगत भूमि रास्ते के बदले मे देना बतलाया है जबकि तनकी संख्या 1 में वर्णित विस्तृत विवेचन व दस्तावजी साक्ष्य से चक 1 एनकेआर में प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 का प.न. 160/141 मु.न. 18 किला नम्बर 25/0.177 है. हिस्सा शेष रहना नही पाया जाता है। प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 द्वारा कोई साक्ष्य सबूत भी अपने जवाब दावा के समर्थन में पेश नही किये है। अतः तनकी संख्या 1 में वर्णित तथ्यों के आधार पर उक्त तनकी प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

क्रियात्मक आदेश

उपर्युक्तानुसार तनकी वाइज निर्णय एवं विवेचन के आधार पर वाद वादीगण साक्ष्य के आधार पर साबित होने के कारण स्वीकार कर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि:— चक 1 एनकेआर खाता संख्या 79/73 खाता लाभ सिह वगैरा ज.स. 2079—72 में प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 लाभसिह वगैरा के नाम दर्ज कुल 3.670 है. में से पं.न. 160/141 मु.न. 18 किला नं. 25 की 0.177 है. आराजी के वादी संख्या 1 ता 3 को 1/2 हिस्सा बहिब तथा शेष 1/2 हिस्सा का वादी संख्या 4 को खातेदार काश्तकार घोषित कर उनके नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 का उक्तानुसार हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 13.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय कौशिक)
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Kaushik
Date: 2024.11.26 15:51:09 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

वादपत्र अन्तर्गत धारा :– 88 आरटीए

प्रकरण संख्या:– 155 / 2018

1. सतविन्द्र कौर पत्नि दर्शन सिंह
2. राजेन्द्र सिह मान | पि. दर्शन सिह | जाति जटसिख साकिन लम्बीढाब तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
3. पलविन्द्र सिंह
4. जगदीप सिह पुत्र सरजीत सिह

वादीगण

बनाम

1. जस[illegible]न्द्र कौर पुत्री सरजीत सिह पत्नि मक्खन सिह जाति जटसिख सा.लम्बीढाब हाल आबाद चिम[illegible]वाला तह.जिला फाजिल्का
2. रविन्द्र कौर पुत्री सरजीत सिह पत्नि नक्षत्र सिह जाति जटसिख सा.लम्बीढाब हाल आबाद चक [illegible]सिह वाला तह व जिला हनुमानगढ़।
3. लाभ सिह | पि.कलवन्त सिह | जाति जटसिख सा.लम्बीढाब तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
4. जवाहर सिह
5. गमदूर सिह
6. कर्मजीत कौर पत्नि प्रगट सिह
7. प्रीतपाल सिह पुत्र प्रगट सिह ना.ज.कु.बली माता कर्मजीत कौर पत्नि प्रगट सिह जाति जटसिख सा.लम्बीढाब तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़।
8. तहसीलदार राजस्व संगरिया।
9. मैनेजर पंजाब नैशनल बैंक संगरिया।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष [illegible]स्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री राजेश बुढानियां वकील वादीगण मिन जामिन मुदई [illegible] बन्टुश बिश्नोई वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 एवं श्री शिवशंकर वकील प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 [illegible] जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है:– चक 1 एनकेआर खाता संख्या 79 / 73 खाता लाभ सिह वगैरा ज.स. 2079–72 में प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 लाभसिह वगैरा के नाम दर्ज कुल 3.670 है. में से पं.न. 160 / 141 मु.न. 18 किला नं. 25 की 0.177 है. आराजी के वादी संख्या 1 ता 3 को 1 / 2 हिस्सा बहिब तथा शेष 1 / 2 हिस्सा का वादी संख्या 4 को खातेदार काश्तकार घोषित कर उनके नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 का उक्तानुसार हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है।

नोट :– यदि वादग्रस्त आराजी बैंक रहन हो तो ऋण चुकता [illegible] राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज......X......नल......X......मुब्लिक......X......निल......X......बाबत्......X......निल......X...... [illegible]

[illegible] वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक......X......अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 13.11.2024 को जारी किया गया।

(जय कौशिक)

सहायक कलक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Ka

Date: 2024.11.26 15:51:0

Reason: SelfAttested